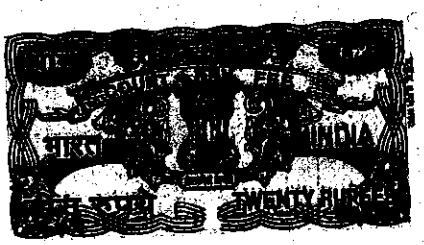

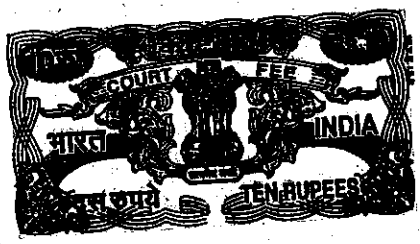

199

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध-9206-I-16

विविध प्र0क0

जम्मनसिंह उर्फ जमुनासिंह ठाकुर
पिता श्री विशेश्वर सिंह ठाकुर (गौंड)
निवासी टुक्कू मोहनियां तहसील पनागर,
जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

2- श्री अभय कुमार जैन पिता स्व. श्री टीकमचंद जैन
निवासी प्लॉट नं. 59, कचनार सिटी, ग्राम लमती,
तहसील व जिला जबलपुर ---- अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 अपील 1894-एक/16 में पारित आदेश दिनाक 21-6-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्र0क0 1894-एक/16 में दिनांक 21-6-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 9206-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओ से शासकीय अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 1894-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-6-16 द्वारा आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक शहर से दूर गांव में निवास करता है और अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में विक्रयपत्र का निष्पादन प्रस्तावित क्रेता के पक्ष में अभी तक नहीं करा पाया है और उक्त अवधि दिनांक 20-10-16 को समाप्त हो रही है । उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । शासकीय अधिवक्ता को उक्त आवेदन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 निग0 1894-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-6-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	